FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0012 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/01/2024 20:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	384
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/01/2024 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/01/2024 20:38:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KishangarBas

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Sarpudin

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Isabkhan

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Chorbsai, Kishangarbas, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Chorbsai, Kishangarbas, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-6376912035

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Dhara singh Gorjar		पिता:Bijendra singh	1. Kishangarbas,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA
2	Llau Khan		पिता:Chand Khan	1. Khobas,KISHANGARH BAS, खैरथल-तिजारा,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 15.01.2024 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर श्री सरपूदीन पुत्र श्री ईसब खान, जाति मेव, उम्र 35 साल, निवासी चोर बसई, तहसील व पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा मय अपने बडे भाई साहबदीन के उपस्थित होकर परिवादी श्री सरपूदीन ने श्री पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की थी, कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर। विषय- पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा के एएसआई धारा सिंह को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने के लिये। महोदय, निवेदन है कि मैं ग्राम चोर बसई, तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा का रहने वाला हॅू तथा मजदूरी का काम करता हॅू। हमारे गॉव के हजरू पुत्र श्री कुज्जा जाति मेव ने दिनांक 07.01.2024 को पुलिस थाना किशनगढबास में उसकी भैस चोरी होने की अज्ञात चोरों के खिलाफ एफ0आई0आर0 नं0 12/2024 दर्ज करवाई थी, जिसकी तफ्तीश पुलिस थाना किशनगढबास का ए0एस0आई0 श्री धारा सिंह कर रहा है। धारा सिंह ए0एस0आई0 ने दिनांक 13.01.2024 वार शनिवार को मेरे भाई साहबदीन को पुलिस थाना किशनगढबास पर बुलाया और मेरे भाई से कहने लगा की हजरू उसकी भैस चोरी का तेरा नाम ले रहा है और मैं तेरे को इस मुकदमें में बन्द करूंगा। अगर तेरे को इस चोरी के मुकदमें में बचना है तो 50 हजार रू0 देने पडेंगे नही तो गिरफ्तार कर जेल में डाल दूंगा तथा वह मेरे भाई से 50 हजार रू0 आज देने के लिये कहा था तथा मेरे भाई को कल से बार-बार फोन कर पैसे देने के लिये धमका रहा है। मैं व मेरा भाई पुलिस थाना किशनगढबास के भ्रष्ट ए0एस0आई0 श्री धारा सिंह को रिश्वत नही देना चाहते है तथा उसे रिश्वत लेते हुए ए0सी0बी0 से पकडवाना चाहते है। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 15.01.2024 हस्ता/- सरफूदीन पुत्र श्री ईसब खान, जाति मेव, उम्र 35 साल, निवासी चोर बसई, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा मोबाईल- 6376912035 "
कार्यवाही पुलिस
दिनांक 15.01.2024 को समय 3.30 पी0एम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीयूष दीक्षित, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी श्री सरपूदीन पुत्र श्री ईसब खान, जाति मेव, निवासी चोर बसई, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा मय अपने बडे भाई साहबदीन के उपस्थित होकर परिवादी श्री सरपूदीन द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। जिसका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी सरपूदीन व परिवादी के भाई बडे भाई साहबदीन को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री सरपूदीन ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि हमारे गाँव के हजरू पुत्र श्री कुज्जा जाति मेव ने दिनांक 07.01.2024 को पुलिस थाना किशनगढबास में उसकी भैस चोरी होने की अज्ञात चोरों के खिलाफ एफ0आई0आर0 नं0 12/2024 दर्ज करवाई थी, जिसकी तफ्तीश पुलिस थाना किशनगढबास का ए0एस0आई0 श्री धारा सिंह कर रहा है। धारा सिंह ए0एस0आई0 ने दिनांक 13.01.2024 शनिवार को मेरे बडे भाई साहबदीन को पुलिस थाना किशनगढबास पर बुलाया और मेरे भाई से कहा की हजरू उसकी भैस चोरी का तेरा नाम ले रहा है और मैं तेरे को इस मुकदमें में बन्द करूंगा। अगर तेरे को इस चोरी के मुकदमें में बचना है तो 50,000 रू0 रिश्वत के देने पडेंगे नही तो इस मुकदमें में गिरफ्तार कर जेल में डाल दूंगा तथा वह मेरे भाई से 50 हजार रू0 आज देने के लिये कहा था तथा वह मेरे भाई को कल से बार-बार फोन कर पैसे देने के लिये धमका रहा है तथा पैसे नही देने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। मेरे भाई ने उक्त सभी बाते मुझे बताई है। मैं व मेरा भाई पुलिस थाना किशनगढबास के भ्रष्ट ए0एस0आई0 श्री धारा सिंह को रिश्वत नही देना चाहते है तथा उसे रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी व मेरे भाई साहबदीन की श्री धारा सिह ए0एस0आई0 पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री सरपूदीन ने यह भी बताया कि वह कम पढा-लिखा है तथा ठीक से लिख नही पाता है, लिखे हुये को कम-कम पढना जानता है तथा उसका भाई साहबदीन अनपढ है। इसलिए उसने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं ने बोल-बोल कर खानपुर स्टेण्ड पर मिले एक पढने वाले लडके से लिखवाकर लाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा तत्पश्चात परिवादी के साथ आये उसके बडे भाई साहबदीन ने दरियाफ्त पर उक्त तथ्यों की

ताईद करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र उसके भाई श्री सरपूदीन द्वारा खानुपर स्टेण्ड पर एक पढने वाले लडके से लिखवाकर लाना बताया तथा परिवादी के साथ उपस्थित श्री साहबदीन से कार्यवाही में परिवादी के साथ रहने की सहमती चाही गई तो साहबदीन ने बताया की उसको धारा सिंह ए0एस0आई0 पैसे के लिये बार-बार फोन कर रहा है और मैं उसके पास पैसे लेकर नही जाउंगा तो वह मुझे थाने में बन्द कर देगा। इसलिए मैं इससे आगे की कार्यवाही में शामिल नही रहूंगा। आगे की समस्त कार्यवाही सरपूदीन ही करवायेगा। परिवादी श्री सरपूदीन द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर श्री साहबदीन के भी हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करवाये गये। परिवादी श्री सरपूदीन द्वारा प्रस्तुत पुलिस थाना किशनगढबास की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2024 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति तथा साहबदीन द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की छायाप्रति बाद हस्ताक्षर शामिल कार्यवाही की जाकर साहबदीन को आगे की कार्यवाही से पृथक किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर उक्त पर रिष्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समय 04.15 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपरोक्त तथ्यों से अवगत करवाकर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज मय परिवादी सरपूदीन के मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिये। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पुलिस मय परिवादी सरपूदीन को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं उक्त पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही पुलिस का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री सरपूदीन द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं कार्यवाही पुलिस में अंकित समस्त तथ्यों की ताईद की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री सरपूदीन को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री सरपूदीन एवं श्री महेश कुमार कानि. 462 को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु समय 04.30 पी0एम0 पर उक्त दोनो को पुलिस थाना किशनगढबास पर जाने हेतु रवाना किया गया था। समय 07.00 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ गये हुये श्री महेश कुमार कानि0 462 ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया गया कि परिवादी ने उसे बताया है कि परिवादी की संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह, ए0एस0आई0 पुलिस थाना किशनगढबास से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता हो गई है। संदिग्ध आरोपी ने परिवादी से उसके भाई साहबदीन को भैस चोरी के मुकदमें में नही फसाने की एवज में 30 हजार रू0 रिश्वत की मांग की है तथा संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को रिश्वत की राशि लेकर दिनांक 16.01.2024 को सुबह 11-11.30 बजे तक देने एवं परिवादी के भाई साहबदीन को भी थाने पर लेकर आने के लिये कहा है। परिवादी के पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30 हजार रू0 की व्यवस्था नही है। इसलिए परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है और अभी वह अलवर नही आ सकता है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को साथ लेकर, परिवादी को दिनांक 16.01.2024 को समय 8.30 ए0एम0 पर रिश्वत राशि सहित ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर परिवादी को किशनगढबास ही छोडकर ब्यूरों कार्यालय अलवर आने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.01.2024 को रात्रि समय 09.00 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि "मैं परिवादी सरपूदीन के साथ ए0सी0बी0 कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 06.25 पी0एम0 पर पुलिस थाना किशनगढबास के नजदीक पहुंचा, जहां पर मैंने समय करीब 06.29 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री सरपूदीन को सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह स0उ0नि0 के पास रिश्वत मांग के सत्यापन के लिये पुलिस थाना किशनगढबास के अन्दर भेजा और मैं परिवादी पर नजर रखते हुए पुलिस थाना किशनगढबास के बाहर ही रोड पर अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया। इसके बाद समय करीब 06.55 पी0एम0 पर परिवादी सरपूदीन पुलिस थाना किशनगढबास से बाहर निकलकर मेरे पास आया और अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर चालू हालत में मुझे दिया, जिसको मैंने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि वह पुलिस थाना किशनगढबास में जाकर संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह, ए0एस0आई0 से उसके भाई साहबदीन को भैस चोरी के मुकदमें में नही फँसाने के सम्बन्ध में उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत के बारे में बातचीत की तो धारा सिंह ए0एस0आई0 ने परिवादी के भाई साहबदीन को भैस चोरी के मुकदमें में नही फँसाने की एवज में 30 हजार रू0 रिश्वत की मांग की है। परिवादी व धारा सिंह ए0एस0आई0 के मध्य हुई सभी वार्तालाप को परिवादी ने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी ने मुझे यह भी बताया कि उसके पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही है, इसलिए उसे गॉव जाकर रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है। उक्त सभी तथ्य मैंने आपको जरिये वॉटसअप कॉल अवगत करवाकर आपके निर्देशानुसार परिवादी सरपूदीन को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर

अपने साथ लेकर कल दिनांक 16.01.2024 को प्रातः 08.30 ए0एम0 पर ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर उसे किशनगढबास ही छोडकर मैं रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय अलवर आ गया।" तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 पुलिस थाना किशनगढबास के मध्य रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्तालाप रिकार्ड होना तथा संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 द्वारा परिवादी सरपूदीन को धमकाते हुए उससे 30 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने पास कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। अग्रिम कार्यवाही परिवादी सरपूदीन के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष की जावेगी। दिनांक 16.01.2024 को समय 08.30 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री सरपूदीन, मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा परिवादी श्री सरपूदीन ने बताया कि " कल दिनांक 15.01.2024 को मैं व श्री महेश कुमार कानि0 ए0सी0बी कार्यालय, अलवर से मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर समय करीब 06.25 पी0एम0 पर पुलिस थाना किशनगढबास के नजदीक पहुंचे, जहां पर श्री महेश कुमार कानि0 ने समय करीब 06.29 पी0एम0 पर अपने पास से ए0सी0बी0 का छोटा टेपरिकार्डर चालू कर मुझे दिया, जिसको मैं अपने साथ लेकर मोटर साईकिल से संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह स0उ0नि0 के पास रिश्वत मांग के सत्यापन के लिये पुलिस थाना किशनगढबास में गया, जहा पर मैंने थाने के गेट से श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 को अपने मोबाईल नं0 9680023790 से धारा सिंह ए0एस0आई0 के मोबाईल नं0 9462234398 पर कॉल कर बात की तो श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 ने थाने पर ही मौजूद होने तथा मुझे थाने के अन्दर अपने पास आने के लिए कहा, जिस पर मैं पुलिस थाने के अन्दर श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 के पास चला गया और श्री महेश कुमार कानि0 पुलिस थाना किशनगढबास के बाहर ही रोड पर खडा हो गया। मैं पुलिस थाने के अन्दर जाकर श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 से मिला और मेरे भाई साहबदीन को भैस चोरी के मुकदमें में नही फसाने के सम्बन्ध में उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत के बारे में बातचीत की तो धारा सिंह ए0एस0आई0 ने मेरे भाई साहबदीन को भैस चोरी के मुकदमें में नही फसाने की एवज में मेरे से 30 हजार रू0 रिश्वत की मांग की है और रिश्वत के पैसे आज दिनांक 16.01.2024 को देने के लिये तथा मेरे भाई साहबदीन को भी थाने पर लेकर आने के लिये कहा है। मेरे व श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ए0सी0बी0 के टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद समय करीब 06.55 पी0एम0 पर मैं पुलिस थाना किशनगढबास से बाहर निकलकर श्री महेश कुमार कानि0 के पास आया और अपने पास से ए0सी0बी0 का टेप रिकार्डर निकालकर चालू हालत में श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया था। इसके बाद मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को उक्त सभी बाते बताई और यह भी बताया था कि मेरे पास श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30 हजार रू0 की व्यवस्था नही होने से गॉव जाकर रिश्वत के पैसों की व्यवस्था करनी है इसलिए अलवर नही चल सकता। श्री महेश कुमार कानि0 ने उक्त सभी बाते अपने मोबाईल फोन से वार्ता कर आपको बताई थी, उसके बाद मुझे 30 हजार रू0 अपने साथ लेकर आज दिनांक 16.01.2024 को सुबह 08.30 बजे ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में आने के लिए कहकर मुझे वह किशनगढबास में ही छोडकर अलवर के लिये रवाना हो गया था। मैं आज श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30 हजार रू0 अपने साथ लेकर आया हॅू तथा मेरा भाई साहबदीन आज किसी जरूरी काम से रिश्तेदारी में गया हुआ है। इसलिए मैं उसे श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 के पास थाने पर नही लेकर जाउंगा।" तत्पश्चात परिवादी को कार्यालय में बैठाया जाकर सचिव, नगर विकास न्यास अलवर को पत्र जारी कर दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में भिजवाने हेतु अवगत करवाया गया। दिनांक 16.01.2024 को समय 09.35 ए0एम0 पर सचिव, नगर विकास न्यास अलवर से तलबशुदा गवाह श्री दिलीप कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री सरपूदीन का परिचय दोनों गवाहान श्री दिलीप कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, अलवर से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री सरपूदीन द्वारा दिनांक 15.01.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर उनके द्वारा परिवादी से उसमें अंकित तथ्यों के बाबत पूछताछ कर संतुष्ट होकर उनसे ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री सरपूदीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 09.45 ए0एम0 पर उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री सरपूदीन एवं संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा के मध्य दिनांक 15.01.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को कार्यालय की आलमारी के लॉक से सुरक्षित बाहर निकालकर, उसे विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर टेबिल स्पीकर के माध्यम से सुना एवं सुनाया जाकर रिकार्डशुदा वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की

गई। रिकॉर्ड वार्ताओं में परिवादी श्री सरपूदीन द्वारा अपनी व संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा की आवाज होने की पहचान की गई। उक्त सभी वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात मूल रिकार्ड रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता को माईक्रो एस.डी. कार्ड से तीन सीडी मे विभागीय लैपटॉप की सहायता से डाऊन लोड एवं सेव कर तीन सीडी तैयार की गई। बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों सीडीयों पर क्रमषः मार्क ''ए-1'', मार्क ''ए-2'' एवं मार्क ''ए-3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सरपूदीन के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ''ए-1'' व मार्क ''ए-2'' को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ''ए-1'' व मार्क ''ए-2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क ''ए-3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। सिल्डशुदा सीडी मार्क ए-1 व ए-2 को मालखाना प्रभारी श्री हरीश चन्द शर्मा, कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। दिनांक 16.01.2024 को समय 12.10 पी0एम0 पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सरपूदीन से संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये निकाल कर पेश किये। उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 30,000/-रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री सरपूदीन की जामा तलाशी गवाह श्री दिलीप कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/ राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 30,000/- रूपये श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री सरपूदीन के पहने हुये कुर्ते की दाहिनी जेब में रखवाये गये। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करवाकर उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व की समझाईश की गई एवं उक्त घोल को श्री रामसिंह कानि. से कार्यालय के बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सरपूदीन को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करने की हिदायत देकर उक्त ईशारे के बारे मे दोनों गवाहान एवं ब्यूरो टीम के सदस्यों का आपसी परिचय करवाकर समझाईश कर आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन के समय आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 15.01.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को आवश्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशि सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों के उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके ही रवाना करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 12.45 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिलीप कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भास्कर हैड कानि0 59, श्री हरीश चन्द शर्मा कानि0 503, श्रीमती सुनिता हैड कानि0, मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों के एवं परिवादी श्री सरपूदीन एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की मोटर साईकिल से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को कार्यालय में ही छोडा गया। दिनांक 6.01.2024 को समय 01.55 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के पुलिस थाना किशनगढबास से पहले स्थित तिराहा पर पहुंचकर तीनों वाहनों को रूकवाकर साईड में खडा करवाया। श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी श्री सरपूदीन के पास रखे विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू करवाकर उसे संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक के पास रिश्वत राशि देने के लिए पुलिस थाना किशनगढबास पर जाने के लिये मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के वाहनों में ही बैठकर परिवादी पर निगरानी रखते हुये पुलिस थाना किशनगढबास के नजदीक पहुंचकर, थाने के आस-पास मौका अनुसार अपनी-अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के

ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 02.05 पी0एम0 पर पुलिस थाना किशनगढबास से परिवादी श्री सरपूदीन बिना ईशारा किये ही अपनी मोटर साईकिल से बाहर आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को उसके पीछे-पीछे चलने का ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को वाहनों से ही हमराह लेकर परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। तत्पश्चात परिवादी कस्बा किशनगढबास बाईपास पर अलवर की तरफ एकान्त जगह में रूककर परिवादी श्री सरपूदीन ने ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को दिया, जिसे मन पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी श्री सरपूदीन ने दोनों गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना किशनगढबास पर गया, जहा पर मुझे श्री धारा सिंह, ए0एस0आई0 थाने पर मौजूद मिला, जिससे मैं बातचीत करने लगा और पैसे लेकर आने के बारे में इशारा किया तो श्री धारा सिह ए0एस0आई0 ने मेरे से कहा कि तू तेरे भाई को लेकर आया है या नही तो मैंने मना कर दिया, जिस पर वह मेरे से कहा कि पहले तेरे भाई को लेकर आ उसके बाद ही मैं तेरे से बात करूंगा, वह मेरे से अभी रिश्वत के पैसे नही लिया और कहा कि तू यहा से चला जा और पहले तेरे भाई को लेकर आ। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सरपूदीन से प्राप्तशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन सम्बन्धी कोई वार्तालाप रिकार्ड होना नही पाई गई तथा परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्य से सम्बन्धित वार्ता/आवाज रिकार्ड होना पाई गई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सरपूदीन को उसके भाई साहबदीन को साथ लेकर थाने पर धारा सिंह ए0एस0आई0 पास जाने के लिये कहा तो परिवादी ने बताया कि धारा सिंह ए0एस0आई0 ने अभी रिश्वत के पैसे 30 हजार रू0 नही लिये है और वह उसके भाई साहबदीन को थाने पर लेकर जायेगा तो धारा सिंह ए0एस0आई0 उसे बन्द कर देगा। धारा सिंह ए0एस0आई0 मुझे या मेरे भाई साहबदीन को फोन कर सकता है, तब ही मैं उसके पास आज वापस जाउंगा। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के मध्यनजर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी श्री सरपूदीन के तीनों वाहनों से हमराह लेकर समय 02.25 पी0एम0 पर रवाना होकर समय 03.00 पी0एम0 पर घासौली टोल टैक्स के पास पहुंच कर संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह ए0एस0आई0 का परिवादी के पास उसको व उसके भाई साहबदीन को थाने पर बुलाने के लिये फोन आने के इन्जतार में ट्रेप पार्टी की पहचान छुपाते हुये एकान्त जगह पर मुकिम हुआ। तत्पश्चात समय 06.00 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक को दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सरपूदीन द्वारा यह बताया गया कि अब शाम हो गई है और अभी तक मेरे पास या मेरे भाई साहबदीन के पास संदिग्ध आरोपी का फोन नही आया है। यदि मैं अब मेरे भाई साहबदीन को लेकर थाने पर जाउंगा तो धारा सिंह ए0एस0आई0 उसको रात में बन्द कर देगा। इसलिए मैं कल दिनांक 17.01.2024 को प्रातः रिश्वत राशि देने हेतु धारा सिंह, ए0एस0आई0 के पास थाने पर जाउंगा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सरपूदीन के पहने हुये कुर्ते की दाहिनी जेब में रखी हुई पाऊडर युक्त राशि 30,000 रूपये को श्री महेश कुमार कानि0 462 से निकलवाकर उक्त राशि को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर, श्री महेश कुमार कानि0 462 के पास ही सुरक्षित रखवाई गई तथा उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन कर आवश्यक निर्देश उपरान्त परिवादी श्री सरपूदीन को दिनांक 17.01.2024 को समय 09.30 ए0एम0 पर बम्बोरा घाटा पर गौषाला रोड पर उपस्थित मिलने एवं गोपनीयता रखने की हिदायत देकर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रूकसत कर समय 06.15 पी0एम0 पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों, ट्रेप बॉक्स एवं सामग्री सहित जरिये दो प्राईवेट वाहन के मौके से रवाना होकर समय 07.00 पी0एम0 पर ए0सी0बी0 चौकी अलवर हाजिर आया तथा ट्रैप बॉक्स व लैपटॉप प्रिन्टर को कार्यालय में रखवाया गया एवं रिश्वती राशि के लिफाफे को श्री महेश कुमार कानि0 462 से कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखवाया जाकर दोनों गवाहान को दिनांक 17.01.2024 को समय 08.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से मसकन के लिये रवाना किया गया। दिनांक 17.01.2024 को समय 08.15 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द ने अपने पास रखी अलमारी की चाबी से अलमारी के लॉक को खोला। श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी के लॉक से दिनांक 16.01.2024 को रखी गई रिश्वती राशि 30 हजार रू0 फिनोफ्थैलीन पाउडरयुक्त नम्बरी नोटों के लिफाफे को सुरक्षित निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाकर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर मय यू0पी0एस0 साथ लेकर जरिये दो प्राईवेट वाहन के एसीबी कार्यालय से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब बम्बोरा घाटा/किशनगढबास के लिये रवाना होकर समय 09.30 ए0एम0 पर बम्बोरा घाटा पर गौशाला रोड पर निर्धारित स्थान पर पहुंचा। जहा पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री सरपूदीन मोटर साईकिल के साथ मौजूद मिला तथा समय 09.45 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतन्त्र गवाह श्री दिलीप कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व परिवादी श्री सरपूदीन के समक्ष श्री रामसिंह कानि0 549 से ब्यूरों कार्यालय अलवर में प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखी हुई पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30,000 रूपये को मय लिफाफा सहित बाहर निकलवाकर उक्त राशि को लिफाफे से बाहर निकलवाकर कानि0 रामसिंह 549 से उक्त राशि के नोटों को उपर-नीचे करवाकर परिवादी श्री सरपूदीन की बाद जामा तलाषी पहनी हुई जैकिट (जरकीन) की दाहिनी साईड की जेब में सावधानीपूर्वक रखवाकर परिवादी को पूर्ववानुसार मुनासिब हिदायत दी गई तथा वक्त लेन-देन के समय आरोपी

की वार्ता को टेप करने के लिए विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर, जिसमें दिनांक 15.01.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की एवं दिनांक 16.01.2024 की रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई वार्ता रिकार्ड है। परिवादी श्री सरपूदीन को सुपुर्द किया गया तथा गाडी में रखे कैम्पर के पानी से समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन-पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक ने भी अपने हाथ साबन-पानी से धोये। श्री राम सिंह कानि0 549 को बाद मुनासिब हिदायत ब्यूरों कार्यालय अलवर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 10.10 ए0एम0 पर परिवादी श्री सरपूदीन, व श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की मोटर साईकिल से एवं मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह, ए0सी0बी स्टाफ सदस्यों के ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर, यू0पी0एस0 साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों में बैठाकर तथा हमराह लेकर मौका बम्बोरा घाटा गौशाला रोड से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब पुलिस थाना किशनगढबास के लिये रवाना हुआ। समय 10.18 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना किशनगढबास के पास पहुंचा, जहां पर वाहनों को एकान्त में खडा करवाकर श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी श्री सरपूदीन का टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक के पास रिश्वत राशि देने के लिए पुलिस थाना किशनगढबास पर जाने के लिये उसकी मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के दोनों वाहनों से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर परिवादी पर निगरानी रखते हुये पुलिस थाना पुलिस थाना किशनगढबास के आस-पास मौका अनुसार अपनी-अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। परिवादी पहले तो थाने के अन्दर गया और इसके तुरन्त बाद ही वह थाने से बाहर चाय की दुकान पर आकर अपनी मोटर साईकिल खडी करके चाय की दुकान पर खडा हो गया, कुछ समय बाद उक्त चाय की दुकान पर एक कार आकर रूकी और उस कार में से दो व्यक्ति उतरे जिनसे परिवादी आपस में वार्तालाप करते हुये उनके साथ ही कार की पीछे की सीट पर काली जैकिट व काला टोपा पहने हुये बैठे एक व्यक्ति के साथ पीछे की सीट पर बैठ गया। इसके बाद उक्त गाडी की पीछे की सीट पर काली जैकट व काला टोपा पहने बैठा हुआ व्यक्ति गाडी से उतर कर थाने के अन्दर चला गया और कुछ समय बाद वह थाने से वापस उक्त गाडी के पास आ गया। इसके बाद थाने के अन्दर से पुलिस वर्दी पहना हुआ एक व्यक्ति भी चाय की दुकान आया, जिससे परिवादी व काली जैकट व काला टोपा पहने हुआ व्यक्ति गाडी में बैठे दो अन्य आपस में बातचीत करने लग गये और चाय पीने लग गये, इसी दौरान काली जैकिट व काला टोपा पहना हुआ व्यक्ति व पुलिस वर्दी पहना हुआ व्यक्ति चाय की दुकान के साईड में जाकर खडे होकर आपस में वार्तालाप करने लग गये और काली जैकिट पहने व काला टोपा पहने हुये व्यक्ति ने अपने पास से रूपये पुलिस वर्दी पहने हुए व्यक्ति को दिये इसके बाद दोनों चाय की दुकान पर आकर परिवादी से वार्तालाप करने लग गये। तत्पश्चात पुलिस वर्दी पहना हुआ व्यक्ति थाने के अन्दर चला गया और गाडी लेकर आये दो व्यक्ति गाडी लेकर चले गये तथा परिवादी और काली जैकिट व काला टोपा पहना हुआ व्यक्ति चाय की दुकान के पास ही रूके खडे रहे। समय 11.10 ए0एम पर पर परिवादी सरपूदीन पुत्र श्री ईसब खांन जाति मेंव, उम्र 35 साल निवासी चोर बसई तहसील व थाना किशनगढ बास जिला खैरथल तिजारा .ने पुलिस थाना किशनगढ बास परिसर के बाहर स्थित एक चाय की थडी पर खडे हुए ने समय 11.10 ए.एम पर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसको मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के समस्त सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास उपरोक्त चाय की थडी पर पहुंचा जहॉ पर परिवादी के साथ एक व्यक्ति खडा था। जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की यह श्री लल्लू खांन है जिन्होने अभी अभी मेरे से अपने स्वयं एवं श्री धारा सिंह एएसआई पुलिस थाना किशनगढ बास के लिये मेरे से अभी अभी 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर उक्त राशि को गिनकर उक्त राशि में से 5000/- रूपये निकालकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में रख लिया तथा 25000/- रूपये कुछ समय पूर्व यही पर आये श्री धारासिंह एएसआई को दे दिये जो उन्होने अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहने हुये जाकिट के अन्दर की बायी जेब में रखकर थाना परिसर के अन्दर चला गया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक की उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमाराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करातें हुये उस व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री लल्लू खांन पुत्र श्री चांद खां जाति मेंव उम्र 38 साल निवासी खोहाबास तहसील व थाना किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा होना बताया। इस पर श्री लल्लू खां से परिवादी श्री सरपूदीन से अभी प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उक्त लल्लू खांन ने बताया की मै अब्बास सरपंच निवासी महरमपुर के कहने पर यहां आया और सरपुदीन से मिला। उसके बाद मे थाने पर जाकर श्री धारा सिंह एएसआई से मिला तो उसने कहा कि मै सरपूदीन से सीधा पैसे नही लूँगा तू उससे पैसे लेकर मुझे देना। यह बात मैने सरपुदीन को वापस आकर बताई। इस पर सरपूदीन (जो रिश्ते में मेरे जीजाजी के भाई है)ने मुझे अपने पास से 30000/- रूपये निकालकर दिये जिनको मैने अपने हाथो से गिनकर उनमें से 5000/- रूपये निकालकर शेष 25000/- हजार रूपये मैने श्री धारा सिंह एएसआई को दिये है। श्री धारा सिह एएसआई उक्त पैसो को लेकर थाना परिसर के अन्दर चला गया। इस पर उक्त लल्लू खां को अपने हमराह लेकर मय परिवादी श्री सरपूदीन खां, गवाहान एवं ब्यूरो टीम सहित उक्त चाय की थडी से रवाना होकर पुलिस थाना किशनगढ बास के अन्दर प्रवेश किया तों थाने में स्थित मुख्य द्वार के पास ही एक वर्दीधारी व्यक्ति खडा मिला जिसकी

तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की यही श्री धारा सिंह एएसआई है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य से अवगत करातें हुये उक्त एएसआई से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम पता श्री धारा सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी बरई, तहसील डीग, पुलिस थाना खोह, जिला डीग, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना किशनगढ बास, जिला खैरथल तिजारा होना बताया इस पर उक्त धारा सिंह एएसआई को परिवादी श्री सरपूदीन खां से मांगी गई एवं आज अभी ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो बताया की मेरे पास में एक भैस चोरी का प्रकरण संख्या 12/2024 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.स. जैर अनुसंधान है। जिसमें अभी अनुसंधान किया जा रहा है। मैने सरपूदीन से ना तो कोई रिश्वत की मांग की और ना ही रिश्वत राशि ली है। अभी इन्होने मुझे जबरदस्ती 25000/- रूपये दिये है जो मैने श्री लल्लू खां से अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जैकिट की अन्दर की बायी साईड की जेब में रखे है, जो अभी उक्त जेब में ही है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री सरपूदीन खां ने स्वतः बताया की यह एएसआई झूठ बोल रहा है। मेरे एवं जैकम के बीच क्रोस केस किया हुआ है जिसकी जाँच ओमप्रकाश हैड साहब कर रहे है। इसी दौरान हजरू पुत्र कुज्जा खां निवासी चोर बसई ने अपनी भैस चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाना किशनगढ बास पर दर्ज करवाई है। जिसकी जाँच यह धारा सिंह एएसआई कर रहा है। परसो दिनांक 15.01.2024 को मैं जैकम के मुकदमें में राजीनामा के लिये पुलिस थाने पर आया था, तब इस एएसआई ने मुझे एवं मेरे भाई साहिब को भैस चोरी के मुकदमें में मुल्जिम बनाने के लिये तथा बन्द करने के लिये कहा इसके बाद मैने इनसे काफी निवेदन किया तो इन्होने मुझे भैस चोरी के मुकदमें में मुल्जिम नही बनाने की एवजं में मेरे से 30000/- रूपये रिश्वत की मांग की तथा मुझे सरपंच अब्बास के माध्यम से पैसे देने के लिये कहा। इस पर मैने सरपंच से बात की तो सरपंच ने आज मेरे भाई के सालें श्री लल्लू खां को थाने पर भिजवाया। श्री लल्लू खां ने थाने पर आकर इस एएसआई से बात की उसके बाद मुझे चाय की थडी पर कहा की धारा सिंह एएसआई ने मुझे कहा कि वह तेरे से सीधे पैसे नही लेगा मुझे दे दे, थोडी देर बाद में चाय की थडी पर यह धारा सिंह एएसआई आ गया मैने इसके सामने ही श्री लल्लू खां को 30000/- रूपये दिये तो लल्लू खां ने उनमें से 5000/- रूपये निकालकर 25000/- रूपयें धारा सिंह एएसआई को दे दिये, जिसने पैसे लेने के बाद मुझे कहा की तेरे भाई साहबदीन को साथ लेकर उसकी तथा तेरी आई डी और फोटू लेकर शाम को थाने पर आ जाना मैं बयान लूंगा और आपको मुल्जिम नही बनाउगा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने पुलिस थाना किशनगढ बास में स्थित थानाधिकारी कक्ष में उक्त धारा सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस, लल्लू खां, परिवादी श्री सरपूदीन खां, उपरोक्त दोनो गवाहान एंव ब्यूरो टीम सहित प्रवेश किया तथा उक्त सभी को उक्त कक्ष में ससम्मान बैठाया गया । तत्पश्चात पुलिस थाने में रखे कैम्पर से साफ पानी मे से वही टेबल पर रखी पानी पीने की एक बोतल में पानी भरवाकर श्री भास्कर हैड कानि. 59 से मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री धारा सिंह एएसआई पुलिस थाना किशनगढबास के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री धारा सिंह एएसआई के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमेला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रैप बाक्स मे से दो अन्य फ्रेश प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाया जाकर उन्हे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों में उक्त बोतल को पुनः थाने से भरवाई जाकर के कैम्पर साफ पानी भरकर मंगवाया। तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री लल्लू खां के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-3, R-4 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशियों में आधा-आधा डालकर

सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-3, L-4 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी धारा सिंह से पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी पहनी हुई जैकिट की अन्दर की बायी साईड की जेब में होना बताया इस पर गवाह श्री दिलीप कुमार से आरोपी श्री धारा सिंह एएसआई द्वारा बताये अनुसार आरोपी के शरीर पर पहनी हुई जैकिट खाकी के अन्दर की बाई साईड की जेब की तलाशी लीवाई गई तो उक्त गवाह ने उक्त जेब से 500-500 रूपये के एक साथ फोल्ड किये हुये कुछ रूपये तथा 100-100 रूपये के एक साथ फोल्ड कुछ रूपये निकाले। उक्त गवाह से 500-500 रूपये के एक साथ फोल्ड नोटो की राशि को गिनने एंव नोटो की पहचान करने हेतु दोनो गवाहान को कहा गया तो गवाहान ने श्री धारा सिंह एएसआई की पहनी हुई जैकिट की जेब से बरामद शुदा राशि 500-500 रूपये के एक साथ फोल्ड नोटों को गिनकर कुल 25000/- रूपये जिनमें 500-500 रूपये के 50 नोट होना तथा उक्त राशि के सभी नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से हूबहू होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित किये जाकर उक्त बरामद शुदा 25,000 रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः मिलान करवाकर नोटो के साथ एक कागज की चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त हस्ताक्षरित चिट एवं नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को मार्क TM से चिन्हित एवं सीलचिट कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री दिलीप कुमार से उक्त आरोपी श्री धारा सिंह के शरीर पर पहनी हुई खाकी रंग की जेकिट की जेब मे उपरोक्त रिश्वत राशि के साथ ही बरामद 100-100 रूपये के नोटों को गिनने के लिए कहा तो उसने नोटो को गिनकर कुल राशि 1000 रूपये होना बताया। इस संबंध मे उक्त आरोपी श्री धारासिंह से पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त राशि मेरे घर से खर्चे हेतु लेकर आयी हुई राशि है। आरोपी का उक्त राशि बाबत दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद होने के कारण उक्त राशि को जब्त नही कर कब्जे नही ली गई। उक्त राशि आरोपी के परिजन या स्टाफ सदस्यों को लौटाई जाने हेतु गवाह श्री मनोहर लाल के पास रखवाई गई। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स मे से एक फ्रेश प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाया जाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास मे साफ पानी भरकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर उसका घोल तैयार करवाया गया एवं उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल के गिलास मे आरोपी श्री धारा सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस के शरीर से उतरवाई गई खाकी रंग की जैकिट जिसके अन्दर की बांयी साईड की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है। उक्त जेब को उलटवाकर उसको घोल के गिलास मे डुबो कर उसका धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गदमैला हुआ। जिसे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क J-1, J-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त जैकिट की जेब को अच्छी तरह से धुप मे सुखाकर उस जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जैकिट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उस थैली पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील कर मार्क J से चिन्हित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री लल्लू खां से उसके पास रखी हुई शेष 5000 रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो आरोपी ने परिवादी से ली गई 5000 रूपये की राशि अपने शरीर पर पहनी हुई जींस पेन्ट बरंग नीला की आगे की बांयी तरफ की जेब मे रखी हुई होना बताया। इस पर गवाह श्री दिलीप कुमार से उक्त आरोपी लल्लू खाँ द्वारा बताये अनुसार उसके शरीर पर पहनी हुई जींस पेन्ट के आगे की बांयी साईड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने उक्त जेब में से 500 रूपये के नोट मे फोल्ड किये हुए कुछ रूपये निकाले जिनको गिनने एंव नोटो की पहचान करने हेतु दोनो गवाहान को कहा गया तो गवाहान ने आरोपी श्री लल्लू खाँ की पहनी हुई पेन्ट की जेब से बरामद शुदा राशि 500-500 रूपये के एक साथ फोल्ड नोटों को गिनकर कुल 5000/- रूपये जिनमें 500-500 रूपये के दस नोट होना तथा उक्त राशि के सभी नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से हुबहू होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित किया जाकर उक्त बरामद शुदा 5,000 रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः मिलान करवाकर नोटो के साथ एक कागज की चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त हस्ताक्षरित चिट एवं नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को मार्क TM-1 से चिन्हित एवं सीलचिट कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स मे से एक फ्रेश प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाया जाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास मे साफ पानी भरकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर उसका घोल तैयार करवाया गया एवं उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल के गिलास मे आरोपी श्री लल्लू खाँ के शरीर से उतरवाई गई नीले रंग की जींस की पेन्ट जिसके आगे की बांयी साईड की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है। उक्त जेब को उलटवाकर उसको घोल के गिलास मे डुबो कर उसका धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P-1, P-2 अंकित

कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान धोवन करवाने हेतु उपयोग मे लिए गये प्लास्टिक के पारदर्शी गिलासों को थाने के बाहर जलवाकर नष्ट किये गये। उक्त जैकिट की जेब को अच्छी तरह से धूप मे सुखाकर उस जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जैकिट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उस थैली पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील कर मार्क P से चिन्हित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन-देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी अलग से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार करने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। परिवादी सरपूदीन एवं आरोपीगण श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री लल्लू खाँ अलग-अलग एवं एक साथ करके आपस मे कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन तो बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो सभी ने आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने से स्पष्ट मना किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

आरोपी श्री धारा सिंह के कब्जे से परिवादी सरपूदीन के भाई साहबदीन से सम्बन्धित भैस चोरी के प्रकरण दर्ज प्रकरण संख्या 12/2024 धारा 379 भा0द0सं0 की पत्रावली की सत्यापित छायाप्रतियों को जरिये फर्द जब्त किया गया तथा धटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्षा मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय 05.30 पी0एम0 पर आरोपी श्री धारा सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 50 साल, निवासी बरई, पुलिस थाना खोह, तहसील व जिला डीग, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा एवं समय 06.00 पी0एम0 पर आरोपी श्री लल्लू खान पुत्र श्री चाँद खां, जाति मेव, उम्र 38 साल, निवासी खोहाबास, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा (प्राईवेट व्यक्ति) को हस्बकायदा जरिये फर्द पृथक-पृथक अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384, 120बी भा0द0सं0 के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद कार्यवाही पुलिस थाना किषनगढ बास से गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री लल्लू खाँ, दोनो गवाहान, परिवादी, ब्यूरो स्टाफ मय ट्रेप बॉक्स, जब्तशुदा रिश्वत राशि एवं जब्तशुदा समस्त आर्टिकल्स इत्यादि सहित समय 7.00 पी.एम. पर रवाना होकर समय 08.45 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, यूपीएस को कार्यालय में रखवाया गया तथा गिरफ्तारशुदा दोनों आरोपीगण को ए0सी0बी0 स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया तथा कार्यवाही में जब्त/सीलशुदा बजह सबूतों को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, जिसको बाद कार्यवाही जमा मालखाना करवाया जावेगा। दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 17.01.2024 को समय 09.45 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री सरपूदीन एवं आरोपी श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा के मध्य दिनांक 16.01.2024 को रिश्वत लेन-देन के क्रम में एवं दिनांक 17.01.2024 को रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी सरपूदीन, आरोपी श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक एवं श्री लल्लू खान प्राईवेट व्यक्ति के मध्य हुई वार्ताओं की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार कर रिकॉर्ड वार्तालापों को प्रक्रियानुसार तीनं खाली सी.डी. मे डाऊन-लोड सेव कर सी.डी. क्रमश: मार्क ''बी-1'', मार्क ''बी-2'' एवं मार्क ''बी-3'' तैयार की गई। बाद मिलान सही होना सुनिष्चित कर उक्त मे से दो सी.डी. मार्क ''बी-1'' व मार्क ''बी-2'' को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ''बी-1'' व मार्क ''बी-2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क ''बी-3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 15.01.2024 को परिवादी व आरोपी श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता व फोल्डर नं0 2 में दिनांक 16.01.2024 को परिवादी व आरोपी श्री धारा सिंह सहायक उप निरीक्षक के मध्य रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई वार्ता एवं फोल्डर नं0 3 में दिनांक 17.01.2024 को परिवादी व आरोपी श्री धारा सिंह सहायक उप निरीक्षक एवं श्री लल्लू खान प्राईवेट व्यक्ति के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। रिकॉर्ड वार्तालापो मे परिवादी ने अपनी स्वंय एवं आरोपीगण श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री लल्लू खा की आवाज होने की पहचान की है। बाद कार्यवाही उपयोग ली गई ब्राससील को जरिये फर्द तुडवाकर नष्ट किया गया। जब्तशुदा समस्त आर्टिकल्स को श्री हरीश चन्द शर्मा कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। बाद कार्यवाही दिनांक 18.01.2024 को समय 05.30 ए0एम0 पर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान से सम्बन्धित कोई कार्य शेष नही होने से

परिवादी श्री सरपूदीन एवं दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूखसत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री धारा सिंह सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर मिलीभगत कर षडयंत्र पूवर्क एक राय होकर परिवादी श्री सरपूदीन से पुलिस थाना किशनगढबास पर अज्ञात चोरों के विरूद्ध श्री हजरू पुत्र कुज्जा मेव निवासी चोर बसई द्वारा दर्ज करवाये गये भैस चोरी के मुकदमा नं0 12/2024 धारा 379 में परिवादी के बडे भाई साहबदीन को मुल्जिम बनाने की धमकी देकर उसे मुल्जिम नही बनाने की एवज मे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 15.01.2024 को 30 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा अपनी उक्त मांग के अनुसरण में दिनाक 17.01.2024 को श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक द्वारा अपने दलाल श्री लल्लू खान के माध्यम से 25000/- रूपये रिश्वत के प्राप्त करने तथा आरोपी श्री लल्लू खान प्राईवेट व्यक्ति दलाल द्वारा परिवादी श्री सरपूदीन से 30 हजार रू0 की रिश्वत राशि श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक एवं स्वयं के लिये प्राप्त कर दौराने ट्रेप कार्यवाही 25,000 रू0 श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना किशनगढबास को देना एवं दोनों की आपसी सहमति के अनुसार अपने हिस्से के 5,000 रू0 स्वयं अपने पास रखने तथा परिवादी से प्राप्तशुदा रिश्वत राशि 30 हजार रू0 में से 25,000 रू0 रिश्वत राशि श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक के कब्जे से उसकी पहनी हुई खाकी जैकिट की बायी साईड की अन्दर की जेब से एवं 5,000 रू0 रिश्वत राशि श्री लल्लू खान, प्राईवेट व्यक्ति दलाल की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की बायी साईड की जेब से बरामद होने के जुर्म में आरोपी श्री धारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना किशनगढबास एवं श्री लल्लू खान पुत्र श्री चाँद खां, प्राईवेट व्यक्ति दलाल का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 384, 120बी आईपीसी मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी (1) श्री धारा सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 50 साल, निवासी बरई, पुलिस थाना खोह, तहसील व जिला डीग, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा एवं (2) श्री लल्लू खान पुत्र श्री चाँद खां, जाति मेव, उम्र 38 साल, निवासी खोहाबास, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।(प्रेमचन्द)पुलिस निरीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोअलवर प्रथम, अलवर।..कार्यवाही.. पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 384, 120बी भा.द.सं. में आरोपीगण (1) श्री धारा सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह, जाति गुर्जर, निवासी बरई, पुलिस थाना खोह, तहसील व जिला डीग, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा एवं (2) श्री लल्लू खान पुत्र श्री चाँद खां, निवासी खोहाबास, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-द्वितीय, अलवर को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण की रोजनामचा आम में रपट संख्या 272 पर अंकित है।(विशनाराम)पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांकः- 51-54 दिनांक 18.1.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।2.पुलिस अधीक्षक, जिला खैरतल-तिजारा।3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/01/2024 20:44:06

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				
2	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)